

न्यायालय: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

सत्र प्रकरण क.-195 / 2015संस्थित दिनांक 25.06.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा,

तहसील गोहद जिला-भिण्ड (म.प्र.)

.....अभियोगी

बनाम

1. सोनू उर्फ सरजीत सिंह तोमर पुत्र अजमेर सिंह तोमर
आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम तेहरा, हाल निवासी स्टेशन रोड
बार्ड नंबर 18 थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0
2. संजू तोमर पुत्र अजमेर सिंह तोमर आयु 38 वर्ष निवासी
ग्राम तेहरा, हाल निवासी स्टेशन रोड बार्ड नंबर 18 थाना
गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0
3. टिन्कू उर्फ अरविन्द पुत्र सोवरन सिंह तोमर आयु 39 वर्ष
निवासी ग्राम तेहरा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड
4. सतीश सिंह सिकरवार पुत्र अशोक सिंह सिकरवार आयु
33 वर्ष निवासी ग्राम तेहरा थाना गोहद चौराहा जिला
भिण्ड म0प्र0
5. अशोक सिंह सिकरवार पुत्र मोती सिंह सिकरवार आयु 57
साल निवासी ग्राम तेहरा थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- अभियुक्तगण
6. सोनू उर्फ अखिलेश पुत्र रूपसिंह आयु निवासी स्वांस
हाल गोहद चौराहा जिला भिण्डमृत अभियुक्त

(न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (श्री पंकज शर्मा) के न्यायालय के मूल
आपराधिक प्रकरण क. 241 / 15 / गोहद / भिण्ड में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 11.06.
2015 से उत्पन्न सत्र प्रकरण)

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।

अभियुक्तगण द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 22.12.17 को घोषित)

1. अभियुक्तगण सोनू उर्फ सरजीत, सोनू उर्फ अखिलेश, संजू, टिकू उर्फ अरविन्द, सतीश सिकरवार के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा-147, 148, 307 सहपठित 149 तथा अभियुक्त सोनू उर्फ सरजीत, सोनू उर्फ अखिलेश, संजू, सतीश सिकरवार के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25 (1-बी)(ए) एवं धारा-27 के तहत एवं अभियुक्त टिकू उर्फ अरविन्द सिंह सिकरवार के विरुद्ध धारा-30 आयुध अधिनियम एवं अशोक सिकरवार के विरुद्ध धारा- 29 (ख) आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप है कि अभियुक्तगण सोनू उर्फ सरजीत, सोनू, अखिलेश, संजू, टिकू उर्फ अरविन्द सिंह तोमर एवं सतीश सिकरवार ने दिनांक 14.08.14 को दिन के 11:30 बजे या उसके लगभग फरियादी गोलू तोमर के मकान के पिछले दरवाजे पर मिलकर बृजेन्द्र सिंह की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया तथा उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में घातक हथियारों कट्टे एवं बंदूकों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया, जिसके अग्रसरण में अभियुक्तगण या उनमें से किसी ने बृजेन्द्र सिंह को दाहिने पैर की जांघ में गोली मारी, जिससे यदि बृजेन्द्र सिंह की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण या उनमें से कोई हत्या का दोषी होता एवं सोनू उर्फ सरजीत सिंह, सोनू उर्फ अखिलेश एवं संजू ने बिना वैध लाइसेंस के 315 बोर के कट्टे अपने आधिपत्य में रखे तथा सतीश सिकरवार ने 315 बोर की बंदूक बिना वैध लाइसेंस के अपने आधिपत्य में रखी और उक्त अपराध में उक्त अभियुक्तगण ने उक्त हथियारों का प्रयोग किया एवं अशोक सिकरवार ने 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक को लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन में सतीश सिकरवार को सौंपा तथा टिकू उर्फ अरविन्द ने अपनी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक का प्रयोग करते हुए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया।
2. अभियोजन के अनुसार दिनांक 14.08.14 को दिन में 11:30 बजे के लगभग अभियुक्तगण संजू तोमर, सोनू उर्फ सरजीत सिंह तोमर, सोनू पुत्र रूप सिंह तोमर 315 बोर के कट्टे लिए और सतीश सिकरवार अपने पिता की 315

बोर की लाइसेंसी बंदूक लिए तथा टिंकू स्वयं की 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक लिए तथा अज्ञात दो व्यक्ति बंदूक लिए आए और सभी एक राय होकर कहने लगे कि इस आइडिया कंपनी के टावर पर वे लोग काम करेंगे तथा वे टावर चलाएंगे, तब फरियादी गोलू तोमर ने कहा कि वह पहले से ही कंपनी की ओर से टावर पर गार्ड का काम कर रहा है। उसी समय गोलू तोमर की बहन शांति के ससुर बृजेन्द्र सिंह सिकरवार, ताऊ बहादुर सिंह तथा केशवसिंह तोमर निवासी तेहरा तथा घर के अन्य लोग आ गए। बृजेन्द्र सिकरवार ने सभी लोगों को टावर से जाने का कहा तो सभी अभियुक्तगण कट्टे एवं बंदूकों से फायर करते हुए टावर पर कब्जा करने के लिए घुसने लगे। सतीश सिकरवार ने अपने पिता अशोक सिकरवार की बंदूक से जान से मारने की नियत से फायर किया, जिसकी गोली बृजेन्द्र सिंह की दाहिनी जांघ में लगी, खून निकलने लगा। बृजेन्द्र सिंह को गोली लगते ही सभी अभियुक्तगण फायर करते हुए टावर के पीछे की ओर से भाग गए। तब गोलू तोमर अ0सा0-13 बृजेन्द्र सिंह सिकरवार को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आया, जहां पर पुलिस गोहद चौराहा पहुंच गई।

3. अभियोजन के अनुसार ही गोलू तोमर के लिखाए जाने पर प्र0पी0-26 की देहाती नालिशी लिखी गई। बृजेन्द्र सिंह सिकरवार का मेडीकल फार्म तैयार कर सी.एच.सी. गोहद में दिया गया। गोलू तोमर का प्र0पी0-28 का तथा बृजेन्द्र सिंह सिकरवार का प्र0पी0-19 का कथन लिया गया। देहाती नालिशी थाना गोहद चौराहे पर दी गई, जिस पर से थाना गोहद चौराहे पर प्र0पी0-25 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए अपराध क्रमांक 201/14 अंतर्गत धारा-307, 147, 148, 149 भा0दं0सं0 के तहत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस के द्वारा उसी दिनांक 14.08.14 को घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-27 बनाया गया। उसी दिनांक को बृजेन्द्र सिंह की चोटों का मेडीकल परीक्षण किया गया जिसमें दाहिनी जांघ में गोली का घाव होना पाया गया। उक्त मेडीकल परीक्षण प्र0पी0-03 है। एक्सरे परीक्षण में जांघ की फीमर हड्डी में अस्थिभंग होना पाया गया, जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0-18 है। घटनास्थल से सादा कंकरीट, खून आलूदा कंकरीट, 315 बोर के 13 खोखे तथा एक मोटरसाइकिल टी.व्ही.एस. स्टार सिटी बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-16 बनाया गया। दिनांक 21.08.14 को सैनिक रामसेवक के द्वारा अस्पताल गोहद कपड़ों की पोटली जिसमें आहत बृजेन्द्र सिंह का पेंट था, थाने पर सुपुर्द किया, जिसका जप्तीपंचनामा प्र0पी0-22 बनाया गया।

4. दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण संजू पिता अजमेर सिंह एवं टिकू उर्फ अरविन्द पुत्र सोबरन तोमर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे प्र0पी0-05 एवं प्र0पी0 06 बनाए गए। उसी दिनांक को अभियुक्त संजू ने पुलिस को मेमोरेण्डम कथन देते हुए घटना में प्रयुक्त कट्टा अपने मकान के कमरे की टांड पर रखना तथा चलकर बरामद कराना बताया, जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-10 है। अभियुक्त टिकू ने मेमोरेण्डम कथन देते हुए घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक अपने मकान के कमरे की अलमारी में रखना व चलकर बरामद कराना बताया था। उक्त मेमोरेण्डम प्र0पी0-11 है। उसी दिनांक को अभियुक्त टिकू के मेमोरेण्डम के आधार पर उसकी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक, लाइसेंस की छायाप्रति सहित अपने मकान के कमरे से निकालकर पेश करने पर जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-14 बनाया गया। उसी दिनांक को अभियुक्त संजू तोमर के मेमोरेण्डम के आधार पर उसके मकान के कमरे से एक कट्टा 315 बोर का एक जिंदा कारतूस 315 बोर का निकालकर पेश करने पर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-13 बनाया गया। दिनांक 22.08.14 को अभियुक्त सोनू पुत्र रूप सिंह तोमर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-04 बनाया गया। उसी दिनांक को अभियुक्तगण सोनू पुत्र रूपसिंह ने अपना मेमोरेण्डम कथन पुलिस को देते हुए घटना में प्रयुक्त कट्टा मकान के कमरे में टांड पर छिपाकर रखना व चलकर बरामद कराना बताया, जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-08 है। अभियुक्त सोनू पुत्र रूप सिंह ने उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर दिनांक 24.08.14 को उसके द्वारा अपने मकान से एक कट्टा 315 बोर का एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर का निकालकर पेश करने पर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-12 बनाया गया।
5. दौराने अनुसंधान दिनांक 10.11.14 को अभियुक्त सोनू उर्फ सरजीत पुत्र अजमेर सिंह तोमर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-07 बनाया गया। दिनांक 11.11.14 को अभियुक्त सोनू पुत्र अजमेर ने पुलिस को अपना मेमोरेण्डम कथन देते हुए घटना में प्रयुक्त कट्टा अपने मकान के कमरे में टांड पर छिपाकर रखना तथा चलकर बरामद कराना बताया था। उक्त मेमोरेण्डम प्र0पी0-09 है। अभियुक्त सोनू पुत्र अजमेर सिंह ने उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर उसी दिनांक को उसके द्वारा अपने मकान से कट्टा 315 बोर का एक जिंदा कारतूस 315 बोर

का निकालकर पेश करने पर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-15 बनाया गया। दिनांक 16.04.15 को अभियुक्त सतीश सिकरवार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-29 बनाया गया। उसी दिनांक को सतीश के द्वारा अपना मेमोरेण्डम कथन देते हुए घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक मकान के अंदर कमरे में बक्से में छिपाकर रखना व बरामद कराना बताया, उक्त मेमोरेण्डम प्र0पी0-30 है। दिनांक 17.04.15 को सतीश के मेमोरेण्डम के आधार पर उसके द्वारा अपने मकान से 315 बोर का लाइसेंसी बंदूक निकालकर पेश करने पर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-31 बनाया था। दिनांक 08.05.15 को अभियुक्त अशोक सिकरवार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-23 बनाया गया, अशोक के आधिपत्य से एन.पी.बोर रायफल के लाइसेंस की छायाप्रति जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-24 बनाया गया। अभियुक्तगण सोनू उर्फ अखिलेश, संजू उर्फ संजीव तोमर पुत्र अजमेर सिंह तोमर के संबंध में अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति दिनांक 12.11.14 को प्रदान की गई, जो कि प्र0पी0-01 है। दिनांक 29.12.14 को अभियुक्त सोनू उर्फ सरजीत तोमर पुत्र अजमेर सिंह तोमर के संबंध अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्र0पी0-02 प्राप्त की गई। दिनांक 07.05.15 को अभियुक्त सतीश उर्फ रक्षपाल सिंह सिकरवार पुत्र अशोक सिंह सिकरवार के संबंध में अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्र0पी0-32 प्रदान की गई।

6. दौराने अनुशंधान ही बहादुर सिंह तोमर का प्र0पी0-17 का, केशवसिंह का प्र0पी0-20 का, अतर सिंह का प्र0पी0-21 का कथन लिया गया। प्रकरण में जप्तशुदा खून आलूदा कंकरीट, सादा कंकरीट, घटनास्थल से जप्त किए गए 315 बोर के कारतूसों के खोखे, दो बुलेट के टुकड़े, आहत बृजेन्द्र सिंह के अस्पताल से प्राप्त हुए कपड़ों की सीलबंद पोटली, अभियुक्तगण से जप्त 315 बोर के दो कट्टे, दो जिंदा राउण्ड, एक 12 बोर की दोनाली बंदूक एफ.एस.एल. जांच हेतु पुलिस अधीक्षक भिण्ड के माध्यम से प्र0पी0-33 के ड्राफ्ट से भेजे गए, एक अभियुक्त से जप्त किया 315 बोर का कट्टा एवं जिंदा राउण्ड पीतल का एफ.एस.एल. जांच हेतु पुलिस अधीक्षक भिण्ड के माध्यम से प्र0पी0-34 के ड्राफ्ट से भेजा गया। एक अभियुक्त से जप्त की गई 315 बोर की बंदूक एफ.एस.एल. जांच हेतु पुलिस अधीक्षक भिण्ड के माध्यम से प्र0पी0-35 के ड्राफ्ट से भेजी गई। उपरोक्त सामग्री भेजे जाने के पश्चात उनके संबंध में प्राप्त राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र0पी0 36, 37 एवं 38 हैं।

7. प्र0पी0-36 के अनुसार प्रदर्श ए-1 की की पिस्तोल देशी निर्मित पिस्तोल होना पाई गई, जिससे 315 बोर का कारतूस चलाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रदर्श ए-2 देशी निर्मित पिस्तोल पाई गई, जिससे 315 बोर के कारतूस को चलाया जा सकता है। प्रदर्श ए-3 12 बोर की फैक्ट्री निर्मित दोनाली बंदूक होना पाई गई तथा फायर करने योग्य पाई गई। तीनों ही अगन्यायुध में पूर्व में फायर किए जाने के अवशेष की उपस्थिति पाई गई। प्रदर्श ईसी-1 से ईसी-13 तक 315 बोर के चले कारतूस के 13 खोखे पाए गए। प्रदर्श ई.सी-2 को प्रदर्श ई-2 के द्वारा चलाया गया है। प्रदर्श ई.सी-3 से ई.सी-11 तक एवं ई सी-13 को एक की फायर आर्म्स से चलाया गया है। प्रदर्श एल.आर.-1 के 315 बोर के जीवित कारतूस को पिस्तोल प्रदर्श ए-1 द्वारा चलाया गया, जो मिस फायर का कारतूस है। प्र0पी0-37 की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्श ए-1 देशी निर्मित 315 बोर की पिस्तोल पाई गई है। प्रदर्श एल.आर.-1 के जीवित 315 बोर के कारतूस को प्रदर्श ए-1 से चलाया जा सकता है। प्र0पी0-38 की एफ.एस.एल. की रिपोर्ट के मुताबिक जप्तशुदा 315 बोर की रायफल फायर करने योग्य होना पाई गई है। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से यह प्रकरण उपार्पित होकर विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।
8. अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण की मांग की। अभियुक्तगण का परीक्षण किए जाने पर उनका कहना है कि साक्षीगण रंजिशन उनके विरुद्ध बोलते हैं एवं साक्षी पुलिस के होने एवं पुलिस के कहने से उनके विरुद्ध बोलते हैं, वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है।
9. प्रकरण में उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सोनू पुत्र रूप सिंह की फौती रिपोर्ट प्राप्त होने पर दि0 15.09.2016 की आदेश पत्रिका के अनुसार उसे मृत मान्य किया गया और उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गयी। इस प्रकरण का निर्णय शेष पांचों अभियुक्तगण के संबंध में किया जा रहा है।

प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

1. क्या अभियुक्तगण सोनू उर्फ सरजीत, सोनू उर्फ अखिलेश, संजू टिंकू उर्फ अरविन्द सिंह तोमर एवं सतीश सिकरवार ने दिनांक 14.08.14 को दिन के 11:30 बजे या उसके लगभग फरियादी गोलू तोमर के मकान के पिछले दरवाजे पर मिलकर बृजेन्द्र सिंह की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया तथा उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में घातक हथियारों कट्टे एवं बंदूकों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया, जिसके अग्रसरण में अभियुक्तगण या उनमें से किसी ने बृजेन्द्र सिंह को दाहिने पैर की जांघ में गोली मारी, जिससे यदि बृजेन्द्र सिंह मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण या उनमें से कोई हत्या का दोषी होता ?
2. क्या सोनू उर्फ सरजीत सिंह, सोनू उर्फ अखिलेश एवं संजू ने बिना वैध लाइसेंस के 315 बोर के कट्टे अपने आधिपत्य में रखे तथा सतीश सिकरवार ने 315 बोर की बंदूक बिना वैध लाइसेंस के अपने आधिपत्य में रखी और उक्त अपराध में उक्त अभियुक्तगण ने उक्त हथियारों का प्रयोग किया एवं अशोक सिकरवार ने 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक को लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन में सतीश सिकरवार को सौंपा तथा टिंकू उर्फ अरविन्द ने अपनी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक का प्रयोग करते हुए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया ?
3. दोषसिद्धि एवं दण्डाज्ञा ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 :-**

10. आहत बृजेन्द्र सिंह अ0सा0-07 ने दिनांक 14.08.14 को दिन में 12:30 बजे के लगभग अतर सिंह के दरवाजे पर बैठना तथा बंदूक की एक गोली दाहिने पैर की जांघ में लगना बताया है। परंतु यह नहीं बताया है कि उक्त गोली किसने मारी थी। उसे अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। अभियोजन की ओर से दिए जाने वाले सुझावों से इन्कार किया है। प्रतिपरीक्षण में हाजिर अदालत अभियुक्तगण एवं अनुपस्थित अभियुक्तगण सतीश एवं संजू में से किसी के द्वारा कोई घटना कारित नहीं करना बताया है और यह बताया है कि उसे आज तक गोली चलाने वालों का पता नहीं

चला है। इस प्रकार उसने स्वयं को गोली लगना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि उक्त गोली अभियुक्तगण में से किसी ने मारी थी या अभियुक्तगण ने मारी थी या अन्य किसी ने मारी थी।

11. इसी प्रकार मुन्ना खां अ0सा0-02, बहादुर अ0सा0-05, अनिल सिंह अ0सा0-08 केशव सिंह अ0सा0-09 तथा आहत बृजेन्द्र के समधी अतर सिंह अ0सा0-10 एवं गोलू तोमर अ0सा0-13 ने यह तो बताया है कि अतर सिंह के समधी बृजेन्द्र सिंह की जांघ में गोली लगी थी, परंतु यह नहीं बताया है कि गोली किसने चलाई थी। अभियोजन के अनुसार उपरोक्त सभी साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी हैं। परंतु किसी ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। उन्हें अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। अभियोजन की ओर से बहादुर अ0सा0-05, केशवसिंह अ0सा0-09, अतर सिंह अ0सा0-10, गोलू तोमर अ0सा0-13 को दिए जाने वाले सुझावों से इन्कार किया है कि अभियुक्तगण कट्टे एवं बंदूक लेकर घटनास्थल पर आ गए थे और उन्होंने गोलियां चलाई थीं, जिसकी गोली बृजेन्द्र को लगी थी।

12. बहादुर अ0सा0-05 ने पुलिस कथन प्र0पी0-17 फरियादी बृजेन्द्र अ0सा0-07 ने पुलिस कथन प्र0पी0-19, केशव सिंह अ0सा0-09 ने पुलिस कथन प्र0पी0-20, अतर सिंह अ0सा0-10 ने पुलिस कथन प्र0पी0-21 एवं गोलू तोमर अ0सा0-13 ने पुलिस कथन प्र0पी0-28 का ए से ए भाग पुलिस को नहीं देना बताया है। गोलू तोमर अ0सा0-13 ने प्र0पी0-26 की देहाती नालिशी का बी से बी भाग पुलिस को नहीं लिखाया जाना बताया है। इस प्रकार उपरोक्त सभी साक्षियों ने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण के द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है।

13. डॉ साधन पाण्डेय अ0सा0-03 ने दिनांक 14.08.14 को बृजेन्द्र सिंह का मेडीकल परीक्षण करना बताया है तथा उसके दाहिनी जांघ पर भीतरी हिस्से से गोली निकलकर बाहरी हिस्से की ओर जाना बताया है। प्रवेश घाव 0.5 गुणा 0.5 सेमी. वृत्तकार होकर घाव के किनारे जांघ के अंदर की ओर होना तथा नियमित होना बताया है। बाहरी घाव का आकार 15 गुणा 18 सेमी. का फटे हुए घाव के रूप में बताया है। उनकी रिपोर्ट प्र0पी0-03 है। उक्त चोटों को आग्नेयास्त्र से गोली चलने के फलस्वरूप आना बताया है।

चोट परीक्षण से छः घंटे के अंतराल की होना बताया है। डॉ० विवेक कुमार सोनी ने दिनांक 24.08.14 को बृजेन्द्र सिंह की एक्सरे फिल्म का परीक्षण करने पर दाएं पैर की फीमर हड्डी में फ्रैक्चर होना पाया है, उनकी रिपोर्ट प्र०पी०-18 है। परंतु जहां कि फरियादी/आहत बृजेन्द्र सिंह अ०सा०-07 एवं अन्य सभी चक्षुदर्शी साक्षियों ने अभियोजन का इस बिन्दु पर कोई समर्थन नहीं किया है कि उक्त चोट अभियुक्तगण या उनमें से किसी के द्वारा बृजेन्द्र सिंह का गोली मारने से आई थी। तब ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध हत्या करने के प्रयत्न का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

14. अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण सोनू उर्फ सरजीत, सोनू अखिलेश, संजू, टिकू उर्फ अरविन्द सिंह तोमर एवं सतीश सिकरवार ने दिनांक 14.08.14 को दिन के 11:30 बजे या उसके लगभग फरियादी गोलू तोमर के मकान के पिछले दरवाजे पर मिलकर बृजेन्द्र सिंह की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया तथा उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में घातक हथियारों कटटे एवं बंदूकों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया, जिसके अग्रसरण में अभियुक्तगण या उनमें से किसी ने बृजेन्द्र सिंह को दाहिने पैर की जांघ में गोली मारी, जिससे यदि यदि बृजेन्द्र सिंह मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण या उनमें से कोई हत्या का दोषी होता।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02:-

15. अशोक सिंह अ०सा०-16 ने यह बताया है कि दिनांक 14.08.14 को थाना गोहद चौराहे पर ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा गोहद चौराहे पर अतर सिंह तोमर के यहां बने हुए टावर पर गोली चलने की सूचना प्राप्त होने पर मय फोर्स थाना प्रभारी गिरीश कवरेती के साथ मौके पर पहुंचना बताया है और यह भी बताया है कि जहां से घायल बृजेन्द्र सिंह सिकरवार के परिजन उसे इलाज हेतु गोहद अस्पताल ले गए थे। थाना प्रभारी के निर्देशानुसार वह गोहद अस्पताल पहुंचा था। फरियादी गोलू तोमर के द्वारा अभियुक्तगण संजू, सोनू, सतीश, टिकू, सोनू पुत्र रूपसिंह एवं अन्य दो व्यक्तियों के विरुद्ध बृजेन्द्र सिंह को गोली मारने की रिपोर्ट दी थी। जिस पर से 0/14 धारा-307, 147, 148 एवं 149 भा०दं०सं० की देहाती नालिशी उसके द्वारा लेख की गई थी, जो प्र०पी०-26 है। देहाती नालिशी लेख किए जाने के उपरान्त बृजेन्द्र सिंह का मेडीकल फार्म तैयार कर सी.एच.सी. गोहद में डॉ० साहब को दिया था तथा गोलू एवं घायल बृजेन्द्र सिंह के कथन

लिए थे। थाने पर आकर उक्त देहाती नालिशी प्रधान आरक्षक गोप सिंह को असल कायमी हेतु दी थी।

16. गोप सिंह यादव अ0सा0-12 ने उक्त देहाती नालिशी के आधार पर प्र0पी0-25 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया जाना बताया है तथा दिनांक 21.08.14 को सैनिक रामसेवक द्वारा गोहद अस्पताल से कपड़ों की एक पोटली जिसमें आहत बृजेन्द्र सिंह का पेंट था, थाने पर उसे सुपुर्द करना एवं जिसे उसके द्वारा जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-22 बनाया जाना बताया है।

17. अशोक सिंह अ0सा0-16 ने यह बताया है कि उसी दिनांक 14.08.14 को फरियादी गोलू तोमर की निशांदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-27 बनाया था। घटनास्थल से खून आलूदा कंकरीट व सादा कंकरीट एवं 13 कारतूस के खोखे 315 बोर के बुलट के टुकड़े एवं टी.व्ही.एस. मोटरसाइकिल जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-16 बनाया था। दिनांक 16.08.14 को साक्षी बहादुर सिंह, केशव सिंह, अतर सिंह, अनिल सिंह एवं मुन्ना खां के कथन उनके बताए अनुसार लिखे थे।

18. अशोक सिंह अ0सा0-16 ने यह भी बताया है कि दिनांक 01.09.14 को संजू पिता अजमेर सिंह एवं टिंकू उर्फ अरविन्द पुत्र सोबरन तोमर को गिरफ्तार कर प्र0पी0-05 एवं 06 बनाया था। उसी दिनांक को अभियुक्त संजू ने पुलिस को मेमोरेण्डम कथन देते हुए घटना में प्रयुक्त कट्टा अपने मकान के कमरे की टांड पर रखना तथा चलकर बरामद कराना बताया, जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-10 है। अभियुक्त टिंकू ने मेमोरेण्डम कथन देते हुए घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक अपने मकान के कमरे की अल्मारी में रखना व चलकर बरामद कराना बताया था। उक्त मेमोरेण्डम प्र0पी0-11 है। उसी दिनांक को अभियुक्त टिंकू के मेमोरेण्डम के आधार पर उसकी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक, लाइसेंस की छायाप्रति सहित अपने मकान के कमरे से निकालकर पेश करने पर जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-14 बनाया गया। उक्त बंदूक को आर्टिकल सी होना बताया है। उसी दिनांक को अभियुक्त संजू तोमर के मेमोरेण्डम के आधार पर उसके मकान के कमरे से एक कट्टा 315 बोर का एक जिंदा कारतूस 315 बोर का निकालकर पेश करने पर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-13 बनाया था। उक्त कट्टे को आर्टिकल ए तथा एक जिंदा राउण्ड को आर्टिकल बी होना बताया है।

19. अशोक सिंह अ0सा0-16 ने यह भी बताया है कि दिनांक 22.08.14 को अभियुक्त सोनू पुत्र रूप सिंह तोमर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-04 बनाया था। उसी दिनांक को अभियुक्तगण सोनू पुत्र रूपसिंह ने अपना मेमोरेण्डम कथन पुलिस को देते हुए घटना में प्रयुक्त कट्टा मकान के कमरे में टांड पर छिपाकर रखना व चलकर बरामद कराना बताया, जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-08 है। अभियुक्त सोनू पुत्र रूप सिंह ने उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर दिनांक 24.08.14 को उसके द्वारा अपने मकान से एक कट्टा 315 बोर का एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर का निकालकर पेश करने पर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-12 बनाया था। उक्त कट्टे को आर्टिकल डी तथा जप्तशुदा जिंदा 315 बोर के पीतल के कारतूस आर्टिकल ई होना बताया है। दिनांक 10.11.14 को अभियुक्त सोनू उर्फ सरजीत पुत्र अजमेर सिंह तोमर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-07 बनाया जाना बताया है।

20. अशोक सिंह अ0सा0-16 ने यह भी बताया है कि दिनांक 11.11.14 को अभियुक्त सोनू पुत्र अजमेर ने पुलिस को अपना मेमोरेण्डम कथन देते हुए घटना में प्रयुक्त कट्टा अपने मकान के कमरे में टांड पर छिपाकर रखना तथा चलकर बरामद कराना बताया था। उक्त मेमोरेण्डम प्र0पी0-09 है। अभियुक्त सोनू पुत्र अजमेर सिंह ने उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर उसी दिनांक को उसके द्वारा अपने मकान से कट्टा 315 बोर का एक जिंदा कारतूस 315 बोर का निकालकर पेश करने पर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-15 बनाया था। उक्त जप्तशुदा 315 बोर के कट्टे को आर्टिकल एफ तथा जप्त किए गए जिंदा राउण्ड को आर्टिकल जी होना बताया है।

21. उदयसिंह अ0सा0-04 ने अशोक सिंह की उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि करते हुए अशोक सिंह के द्वारा दिनांक 22.08.14 को सोनू तोमर उर्फ अखिलेश सिंह तोमर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-04 तथा 01.09.14 को संजू सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-05 बनाए जाने के तथ्य बताए हैं। उक्त साक्षी ने अरविन्द सिंह तोमर को प्र0पी0-06 के गिरफ्तारी पंचनामे के अनुसार तथा दिनांक 11.04.14 को अभियुक्त सोनू उर्फ सरजीत सिंह को प्र0पी0-07 के गिरफ्तारी पंचनामे के अनुसार अशोक सिंह तोमर के द्वारा गिरफ्तार करना बताया है।

22. उदयसिंह अ0सा0-04 के द्वारा दिनांक 22.08.14 को सोनू उर्फ अखिलेश सिंह

तोमर के द्वारा अपने मकान के कमरे में कट्टा छिपाकर रखने की जानकारी देना दिनांक 11.11.14 को सोनू उर्फ सरजीत के द्वारा कट्टे की जानकारी देना, दिनांक 01.09.14 को संजू उर्फ संजीव के द्वारा कट्टे व राउण्ड की जानकारी देना तथा टिंकू उर्फ अरविन्द के द्वारा बंदूक की जानकारी देना बताया है। जिनका मेमोरेण्डम क्रमशः प्र0पी0-08 लगायत प्र0पी0-11 होना बताए हैं। उदयसिंह अ0सा0-04 ने सोनू उर्फ अखिलेश सिंह के द्वारा पेश करने पर 315 बोर का कट्टा एवं एक राउण्ड दिनांक 24.08.14 को अशोक सिंह के द्वारा जप्त करना, दिनांक 01.09.14 को ए.एस. तोमर के द्वारा संजू उर्फ संजीव तोमर के द्वारा पेश करने पर 315 बोर का एक कट्टा व एक राउण्ड जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-13 बनाया जाना, उसी दिनांक को ए.एस. तोमर के द्वारा अरविन्द के द्वारा अपने घर में 12 बोर की दुनाली बंदूक पेश करने पर जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-14 बनाया जाना एवं दिनांक 11.11.14 को ए.एस.आई. ए.एस. तोमर के द्वारा सोनू उर्फ सरजीत के द्वारा अपने घर में से एक 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा कारतूस पेश करने पर उसे जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-15 बनाया जाना बताया है। इस प्रकार उक्त चारों अभियुक्तगण के संबंध में गिरफ्तारी, धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम एवं उनसे उपरोक्त हथियार जप्त होने के संबंध में उदयसिंह अ0सा0-04 ने अशोक सिंह अ0सा0-16 की साक्ष्य की पूर्ण रूप से पुष्टि की है।

23. अशोक सिंह अ0सा0-16 ने दिनांक 16.04.15 को अभियुक्त सतीश सिकरवार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-29 बनाया जाना, सतीश के द्वारा घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक मकान के अंदर कमरे में बक्से में छिपाकर कर रखने व चल कर बरामद कराए जाने के तथ्य बताए जाने पर मेमोरेण्डम प्र0पी0-30 बनाया जाना एवं दिनांक 17.04.15 को सतीश के मेमोरेण्डम के आधार पर सतीश के द्वारा मकान से लाइसेंसी बंदूक 315 बोर की निकाल कर पेश करने पर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-31 बनाया जाना बताया है। इसके साथ साथ दिनांक 08.05.15 को अभियुक्त अशोक सिकरवार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-23 बनाया जाना तथा अशोक सिंह के कब्जे से एक एन.पी.बोर के लाइसेंस की छायाप्रति जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-24 बनाया जाना बताया है।

24. अभिलेख पर आई साक्ष्य और उपलब्ध सामग्री से यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि घटनास्थल पर अभियुक्त सतीश सिकरवार उपस्थित था, उसके द्वारा 315 बोर की बंदूक से फायर करना भी प्रमाणित नहीं है। जहां कि सतीश के द्वारा बंदूक का उपयोग किया जाना ही प्रमाणित नहीं हो रहा है। अभिलेख के अनुसार ही बंदूक अशोक सिकरवार

की है। ऐसी स्थिति में सतीश सिकरवार के लिए आयुध अधिनियम की धारा-27 के प्रावधान भी आकर्षित नहीं होते हैं। इस मामले में सतीश सिकरवार पर धारा-25 (1-बी)(ए) आयुध अधिनियम का आरोप भी है तथा अशोक सिकरवार पर धारा-29 ख आयुध अधिनियम का आरोप है परंतु जहां कि घटनास्थल पर बंदूक का उपयोग किया जाना प्रमाणित नहीं हो रहा है। वहां ऐसी स्थिति में अशोक के द्वारा बंदूक को सतीश को सौंपा जाना भी प्रकट और प्रमाणित नहीं होता है।

25. प्र0पी0-24 के जप्तीपंचनामे का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अशोक सिकरवार के द्वारा एन.पी.बोर रायफल के लाइसेंस की छायाप्रति देने पर जप्त की गई है। यह स्वाभाविक तथ्य भी है कि जिसकी बंदूक का लाइसेंस होगा वही जप्त किया जाएगा। छायाप्रति से यह प्रकट है कि उक्त बंदूक का लाइसेंस अशोक सिंह के नाम से है। प्र0पी0-24 के जप्तीपंचनामे का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि मकान ग्राम तेहरा में होना बताया गया है। प्र0पी0-30 के सतीश के जप्तीपंचनामे का अध्ययन करने से भी स्पष्ट है कि उसका निवास भी ग्राम तेहरा है, सतीश की बल्लियत अशोक सिंह सिकरवार है। अर्थात् अभियुक्त अशोक सिंह सिकरवार अभियुक्त सतीश उर्फ रक्षपाल सिंह का पिता है और दोनों का एक ही मकान में निवास करना प्रकट है। अभियोजन की ओर से ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि सतीश और अशोक के निवास के घर अलग अलग थे और लाइसेंस अलग घर से जप्त किया गया और बंदूक अलग घर से जप्त की गई।

26. प्र0पी0-31 के जप्तीपंचनामे में अशोक सिंह अ0सा0-16 के द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि बंदूक सतीश सिकरवार ने स्वयं अपने आधिपत्य से लाकर दी थी। जहां कि दोनों अभियुक्तगण आपस में पुत्र एवं पिता हैं और एक ही मकान में रहते हैं, तब यह स्वाभाविक तथ्य है कि उक्त बंदूक, जो कि अशोक की है, अशोक के ही मकान से जप्त होगी या उस मकान में ही मिलेगी, जिस पर अभियुक्त सतीश का आधिपत्य कतई नहीं कहा जा सकता, लाइसेंस भी उसी मकान से मिला है और बंदूक भी उसी मकान से मिली है। निश्चित है कि उक्त दोनों पर वास्तविक आधिपत्य अशोक का ही है। अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि बंदूक अभियुक्त सतीश का एक्सक्लूसिव आधिपत्य था। अभियोजन जप्ती के समय बंदूक और लाइसेंस पर अभियुक्त सतीश का आधिपत्य होना प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों अभियुक्तगण सतीश एवं अशोक के विरुद्ध आयुध अधिनियम का कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

27. प्र0पी0-38 की एफ.एस.एल. की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त जप्तशुदा 315 बोर की रायफल फायर करने योग्य होना पाई गई है। स्वभाविक है कि लाइसेंसी बंदूक चलने योग्य ही होगी। प्र0पी0-32 की अभियोजन स्वीकृति का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियुक्त सतीश उर्फ रक्षपाल सिंह के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। परंतु उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त सतीश का न तो घटनास्थल पर होकर बंदूक चलाया जाना और न ही उसके एक्सक्लुसिव आधिपत्य से बंदूक जप्त होना प्रमाणित हुआ है। तब ऐसी अभियोजन स्वीकृति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार अभियोजन अभियुक्तगण सतीश एवं अशोक के विरुद्ध कोई भी अपराध प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है।

28. जहां तक कि अभियुक्त टिकू उर्फ अरविंद के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अपराध का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचना के अनुसार अभियुक्त टिकू उर्फ अरविन्द भी घटनास्थल पर उपस्थिति होना प्रमाणित नहीं हुआ है और न ही यह प्रमाणित हुआ है कि अभियुक्त टिकू उर्फ अरविन्द ने अपनी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक को चलाते हुए उसका अपराध में उपयोग किया। इस प्रकार उसकी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का या अधिनियम के किसी उपबंध का या किसी नियम का उल्लंघन होना प्रकट और प्रमाणित नहीं होता। जहां तक कि जप्ती का प्रश्न है उक्त 12 बोर की बंदूक टिकू उर्फ अरविन्द की है, यह स्वाभाविक है कि उक्त 12 बोर की बंदूक जिसकी है उसी से जप्त होगी अर्थात् उक्त बंदूक टिकू उर्फ अरविन्द से ही जप्त होगी। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त टिकू उर्फ अरविन्द के विरुद्ध आयुध अधिनियम का कोई अपराध होना प्रमाणित नहीं होता है।

29. जहां तक कि अभियुक्तगण सोनू पुत्र रूप सिंह, संजू पुत्र अजमेर सिंह एवं सोनू उर्फ सरजीत पुत्र अजमेर सिंह का प्रश्न है, इन सभी के आधिपत्य से एक एक 315 बोर के कट्टे तथा एक एक 315 बोर के जिंदा कारतूस जप्त होना बताया गया है। प्र0पी0-33 के ड्राफ्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसके माध्यम से भेजी गई वस्तुओं की लिस्ट में क्रमांक 06 पर 315 बोर का कट्टा क्रमांक 07 पर एक जिंदा राउण्ड है तथा क्रमांक 08 पर एक 315 बोर का कट्टा और एक जिंदा राउण्ड 315 बोर का है, जिन्हें क्रमशः एफ, जी, एच, आई से प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार प्रदर्श पी 34 के ड्राफ्ट के अनुसार एक 315 बोर का कट्टा और जिंदा राउण्ड पीतल का जांच हेतु भेजा गया है,

जिन्हें प्रदर्श ए व बी से चिन्हित किया गया है। उक्त ड्राफ्ट में उक्त तीनों कट्टे अपराध क्रमांक 201/14 में जप्त होना बताया गया है। परंतु तीनों कट्टों में से कौन सा कट्टा किस अभियुक्त से जप्त किया गया, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है अतः कट्टों को ड्राफ्ट के साथ भेजते समय यह अनिश्चित हो गया है कि कौन सा कट्टा किस अभियुक्त से जप्त हुआ था।

30. अशोक सिंह अ0सा0-16 ने अपने संपूर्ण मुख्यपरीक्षण में ऐसा नहीं बताया है कि उन कट्टों को मौके पर सीलबंद किया था। ऐसा भी नहीं बताया है कि उन कट्टों पर कोई विशिष्ट निशान लगाया था, जिससे कि यह पहचान हो सके कि उक्त कट्टे व कारतूस प्रथक प्रथक रूप से किसी किस अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त किए गए। जप्ती पंचनामे प्र0पी0-12, प्र0पी0-13 एवं प्र0पी0-15 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें भी कट्टे एवं कारतूस को सीलबंद करने या उन पर कोई विशिष्ट चिन्ह लगाने का कोई उल्लेख नहीं है अतः यह निश्चित नहीं हो पता है कि कौन सा कट्टा और कारतूस किस अभियुक्त से जप्त हुआ और यह भी संदेह उत्पन्न हो जाता है कि जो कट्टे व कारतूस उक्त अपराध में जप्त किए गए थे वही कट्टे और कारतूस जांच के लिए और अभियोजन स्वीकृति हेतु भेजे गए थे अथवा नहीं क्योंकि प्र0पी0-36 की जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आर्टिकल आई को मिस फायर कारतूस प्राप्त होना बताया गया है, जबकि ड्राफ्ट प्र0पी0-33 में आई से प्रदर्शित कारतूस को जिंदा राउण्ड के रूप में बताया गया है। ड्राफ्ट में उसे पीतल का बताया गया है, जबकि प्र0पी0-36 में उसके पीतल के होने का कोई उल्लेख नहीं है।

31. ड्राफ्ट प्र0पी0-34 में ए से प्रदर्शित 315 बोर के लोहे के कट्टे में काठ की बेंटी लगी होने का उल्लेख है, परंतु प्र0पी0-37 की जांच रिपोर्ट में काठ की बेंटी होने का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे कि यह संदेह हो जाता है कि वास्तव में वही कट्टे और कारतूस जांच हेतु भेजे गए थे जो कि जप्त होना दर्शाए गए हैं। महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि प्र0पी0-33 के ड्राफ्ट से दिनांक 16.10.14 को दो 315 बोर के कट्टे और दो 315 बोर के जिंदा राउण्ड तथा ड्राफ्ट प्र0पी0-34 के माध्यम से दिनांक 11.12.14 को 315 बोर का एक कट्टा और एक जिंदा राउण्ड जांच के लिए एफ.एस.एल. सागर भेज दिया गया था। जिसकी जांच 28.06.16 को प्र0पी0-36 एवं प्र0पी0-37 के अनुसार हुई है। इस प्रकार उक्त तीनों कट्टे और तीनों कारतूस अर्थात दो कट्टे और दो कारतूस दिनांक 16.10.14 से तथा एक कट्टा और एक कारतूस दिनांक 11.12.14 से दिनांक 28.06.16 तक

एफ.एस.एल सागर ही रहे थे।

32. परंतु दीपक तिवारी अ0सा0-01 ने दिनांक 12.11.14 को सोनू उर्फ अखिलेश सिंह पुत्र रूप सिंह तोमर एवं संजू उर्फ संजीव सिंह तोमर पुत्र अजमेर सिंह तोमर के संबंध में उनसे जप्त एक एक 315 बोर के कट्टे और एक एक 315 बोर के जिंदा कारतूस के संबंध में तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के द्वारा प्र0पी0-01 की अभियोजन स्वीकृति दिया जाना बताया गया है। स्पष्ट है कि दो कट्टों की एक साथ अभियोजन स्वीकृति बताई जा रही है, जो कि ड्राफ्ट प्र0पी0-33 के दो कट्टों एवं दो जिंदा कारतूस के संबंध में है। जिन्हें अशोक सिंह अ0सा0-16 के द्वारा दिनांक 16.10.14 के उक्त ड्राफ्ट प्र0पी0-33 के माध्यम से एफ.एस.एल. सागर जांच हेतु भेजा जाना बताया है। इस प्रकार उक्त दोनों कट्टे एवं कारतूस दिनांक 16.10.14 को ही जांच हेतु भेज दिए गए थे। प्र0पी0-33 के ड्राफ्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि " प्रकरण के तहत जप्तशुदा प्रदर्श परीक्षण हेतु आपकी ओर प्रेषित हैं।" द्वितीय पृष्ठ पर यह लिखा है कि " उपरोक्त सीलबंद प्रदर्श आरक्षक क्रमांक 864 संजय सिंह थाना गोहद चौराहे के द्वारा भेजे जा रहे हैं।"

33. इसी प्रकार अन्य कट्टे और कारतूस को प्र0पी0-34 से दिनांक 11.12.14 को प्रेषित कर दिया गया था। अभियोजन की ओर से ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि उक्त कट्टे एवं कारतूस भेजे ही नहीं गए थे और रोक लिए गए थे और अभियोजन स्वीकृति होने के पश्चात भेजे गए थे। अभिलेख पर आई साक्ष्य और सामग्री से स्पष्ट है कि दो कट्टे और दो कारतूस दिनांक 16.10.14 को जांच हेतु भेज दिए गए थे, परंतु उनकी अभियोजन स्वीकृति दिनांक 12.11.14 को होना निश्चित रूप से अभियोजन और पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही को संदेह की परिधि में लाती है क्योंकि जब कट्टे जांच के लिए भेज दिए गए थे, तब निश्चित है कि अभियोजन स्वीकृति उन कट्टों और कारतूसों के अवलोकन के बिना ही और विवेक का प्रयोग किए बिना ही प्रदान कर दी गई। ऐसी अभियोजन स्वीकृति निश्चित रूप से वैध न होकर अवैध अभियोजन स्वीकृति है। इस प्रकार अभियोजन स्वीकृति वैध रूप से होना प्रमाणित नहीं है। यही स्थिति एक अन्य कट्टे और कारतूस के संबंध में है, जो कि दिनांक 11.12.14 को जांच हेतु भेज दिए गए थे और जिनकी जांच दिनांक 28.06.16 को की गई है। निश्चित तौर पर वे कट्टे और कारतूस भी 28.06.16 के पश्चात वापिस हुए हैं। तब बिना कट्टे और कारतूस के दिनांक 29.12.14 को अभियुक्त सोनू उर्फ सरजीत पुत्र अजमेर सिंह तोमर के संबंध में दी गई अभियोजन स्वीकृति प्र0पी0-02 भी अवैध हो जाती है।

34. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि यह संदेह उत्पन्न हुआ है कि जो कट्टे जप्त हुए थे वही कट्टे जांच के लिए भेजे गए हैं और उन्हीं कट्टों की जांच हुई और यह भी प्रमाणित है कि जप्तशुदा कट्टे और कारतूस जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए बिना ही अभियोजन स्वीकृति प्र0पी0-01 एवं प्र0पी0-02 प्रदान कर दी गई। ऐसी स्थिति में अगन्यायुध की जप्ती एवं उनके संबंध में किए गए अपराध के संबंध में निश्चित तौर पर संदेह उत्पन्न हो जाता है जो कि युक्तियुक्त है, जिसका लाभ सोनू उर्फ सरजीत एवं संजीव उर्फ संजू तोमर पुत्रगण अजमेर सिंह तोमर को दिया जाना न्यायोचित है।

35. इस प्रकार अभियोजन अभियुक्तगण सोनू पुत्र रूप सिंह तोमर, संजू पुत्र अजमेर सिंह एवं सोनू उर्फ सरजीत पुत्र अजमेर सिंह के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि सोनू उर्फ सरजीत सिंह, सोनू उर्फ अखिलेश एवं संजू ने बिना वैध लाइसेंस के 315 बोर के कट्टे एवं जिंदा कारतूस अपने आधिपत्य में रखे। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा है कि सतीश सिकरवार ने 315 बोर की बंदूक बिना वैध लाइसेंस के अपने आधिपत्य में रखी और उक्त अपराध में उक्त अभियुक्तगण ने उक्त हथियारों का प्रयोग किया एवं अशोक सिकरवार ने 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक को लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन में सतीश सिकरवार को सौंपा तथा टिकू उर्फ अरविन्द ने अपनी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक का प्रयोग करते हुए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया।

36. अभियोजन यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण सोनू उर्फ सरजीत, सोनू उर्फ अखिलेश, संजू, टिकू उर्फ अरविन्द सिंह तोमर एवं सतीश सिकरवार ने दिनांक 14.08.14 को दिन के 11:30 बजे या उसके लगभग फरियादी गोलू तोमर के मकान के पिछले दरवाजे पर मिलकर बृजेन्द्र सिंह की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया तथा उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में घातक हथियारों कट्टे एवं बंदूकों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया, जिसके अग्रसरण में अभियुक्तगण या उनमें से किसी ने बृजेन्द्र सिंह को दाहिने पैर की जांघ में गोली मारी, जिससे यदि बृजेन्द्र सिंह मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण या उनमें से कोई हत्या का दोषी होता।

37. फलस्वरूप अभियुक्तगण सोनू उर्फ सरजीत, संजू, टिंकू उर्फ अरविन्द सिंह तोमर एवं सतीश सिकरवार को भा0दं0सं0 की धारा-147, 148, एवं 307 सहपठित 149 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से तथा अभियुक्त सतीश को आयुध अधिनियम की धारा-25 (1-बी)(ए) एवं 27 के तहत तथा अभियुक्तगण संजू पुत्र अजमेर सिंह सोनू उर्फ सरजीत सिंह को आयुध अधिनियम की धारा-25 (1-बी)(ए) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से तथा अभियुक्त टिंकू उर्फ अरविन्द को आयुध अधिनियम की धारा-30 के तहत तथा अभियुक्त अशोक सिकरवार को आयुध अधिनियम की धारा-29ख के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त सोनू उर्फ अखिलेश पुत्र रूपसिंह तोमर की फौती रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 15.09.16 को उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई है।

38. अभियुक्त सोनू उर्फ सरजीत को दिनांक 10.11.14 को गिरफ्तार किया गया है और उसे इसी न्यायालय के जमानत आदेश दिनांक 18.11.14 के पालन में दिनांक 19.11.14 को रिहा किया गया है। इस प्रकार वह 10 दिवस निरोध में रहा है। अभियुक्त संजू उर्फ संजीव तोमर को दिनांक 01.09.14 को गिरफ्तार किया गया है, उसे माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के जमानत आदेश दिनांक 28.10.14 के पालन में दिनांक 30.10.14 को जमानत पर रिहा किया गया है। इस प्रकार वह 60 दिवस निरोध में रहा है। अभियुक्त टिंकू उर्फ अरविन्द तोमर को दिनांक 01.09.14 को गिरफ्तार किया गया है, उसे माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के जमानत आदेश दिनांक 16.10.14 के पालन में दिनांक 17.10.14 को जमानत पर रिहा किया गया है। इस प्रकार वह 47 दिवस निरोध में रहा है। अभियुक्त सोनू उर्फ अखिलेश पुत्र रूपसिंह को दिनांक 22.08.14 को गिरफ्तार किया गया है, उसे माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के जमानत आदेश दिनांक 25.09.14 के पालन में दिनांक 29.09.14 को जमानत पर रिहा किया गया है। इस प्रकार वह 39 दिवस निरोध में रहा है। अभियुक्त सतीश सिकरवार को दिनांक 16.04.15 को गिरफ्तार किया गया है तथा उसे दिनांक 18.05.15 को जमानत पर रिहा किया गया है। इस प्रकार वह 33 दिवस निरोध में रहा है। अभियुक्त अशोक सिकरवार को दिनांक 08.05.15 को गिरफ्तार किया गया है तथा उसे दिनांक 12.05.15 को जमानत पर रिहा किया गया है। इस प्रकार वह 05 दिवस निरोध में रहा है। अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि समायोजित की जावे। निरोध में गुजारी गई अवधि के संबंध में धारा-428 दं0प्र0सं0 का प्रमाणपत्र संलग्न किया जावे।

39. प्रकरण में जप्तशुदा सादा कंकरीट, खून आलूदा कंकरीट आदि बाद मियाद अपील नष्ट की जावें। जप्तशुदा 315 बोर के तीन कट्टे एवं कारतूस तथा चले हुये कारतूस बाद मियाद अपील जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर विधिवत निराकरण हेतु भेजे जावे। प्रकरण में जप्तशुदा 12 बोर की बंदूक अभियुक्त टिकू उर्फ अरविंद के द्वारा विधिवत जारी किया गया लायसेंस प्रस्तुत करने पर उसे वापस की जावे। जप्तशुदा 315 बोर की रायफल अभियुक्त अशोक सिकरवार के द्वारा विधिवत जारी किया गया लायसेंस प्रस्तुत करने पर उसे वापस की जावे। इस संबंध में उन्हें सूचना जारी की जावे, सूचना प्राप्त होने के छः माह के अन्दर यदि विधिवत जारी किया गया लायसेंस प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उक्त 12 बोर की बंदूक और 315 बोर की रायफल विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

40. जप्तशुदा मोटरसाइकिल टी.वी.एस. स्टार सिटी बिना रजिस्टर्ड नंबर की चेसिस नंबर एम.डी.625डी.वाई.एफ.आई.एक्स.ई.3बी01488 इंजन नंबर ओ.एफ.आई.बी.ई.-1020253 अभिलेख के अनुसार सुपुर्दगी पर दिया जाना प्रकट नहीं है और न ही यह प्रकट है कि उक्त मोटरसाइकिल पर किसी ने क्लेम किया हो। मुद्दे माल पर्चे के अनुसार उक्त मोटरसाइकिल न्यायालय में जमा होना प्रकट नहीं है। यदि उक्त मोटरसाइकिल न्यायालय में नहीं जमा है तब उसे न्यायालय में जमा कराया जाए और उसे राज्य के हित में राजसात कर निलामी अथवा अन्यथा व्ययन से प्राप्त राशि को राज्य के हित में उपकोषा गोहद में जमा कराया जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

41. धारा-365 दं0प्र0सं0 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित
कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड